



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012020-215783
CG-DL-E-30012020-215783

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 2020/माघ 8, 1941

No. 51]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 2020/MAGHA 8, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 54(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 118 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल), ईमेल: jspb-morth@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास भेजा जा सकता है।

प्रारूप विनियम

1. शीर्षक एवं प्रारंभ – (1) इन विनियमों को मोटर यान (चालन) (संशोधन) विनियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम 1 अप्रैल, 2020 से लागू होंगे।

2. मोटर यान (चालन) विनियम, 2017 में (इसके बाद उक्त विनियम के रूप में उल्लिखित) -

i. विनियम 37 में, उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जायेंगे, नामतः-

"बशर्ते इसका उपयोग पूरी तरह से मार्ग पथ प्रदर्शन के लिए इस प्रकार होगा कि इससे वाहन चलाते समय चालक की एकाग्रता भंग नहीं होनी चाहिए।"

ii. विनियम 38 में,

(क) उप-विनियम (1) में शब्दों "मूल दस्तावेजों" के लिए शब्दों "वास्तविक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेज" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-विनियम (3) में शब्दों "सदैव अपने साथ रखें" के पश्चात् शब्दों "वास्तविक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में" अंतःस्थापित जाएगा;

(ग) उप-विनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"(5) उपरोक्त के संदर्भ में, किसी भी वर्दीधारी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अपनी ओर से अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों की जांच के पश्चात्, यदि दस्तावेज वैध और प्रवृत्त पाए जाएंगे, तो जांच के लिए वास्तविक रूप में ऐसे दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी, इनमें ऐसे मामले शामिल हैं, जहां किए गए किसी अपराध के लिए ऐसे किसी भी दस्तावेज को जब्त करने की आवश्यकता है।"

[फा. सं. आरटी-11036/65/2019-एमवीएल- (भाग 1)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2020

G.S.R. 54(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 118 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), email: jspb-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi- 110 001.

DRAFT REGULATIONS

1. Short title and commencement. — (1) These regulations may be called as The Motor Vehicles (Driving) (Amendment) Regulations, 2020.

(2) These regulations shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Motor Vehicles (Driving) Regulations, 2017 (hereinafter referred as the said regulations). -

i. In regulation 37, after sub-regulation (1), the following shall be inserted namely: -

“Provided such use is solely for route navigation in such a manner that shall not disturb the concentration of the driver while driving.”

ii. In regulation 38,

(a) In sub-regulation (1) for the words “documents in original” the words “documents in physical or electronic form” shall be substituted;

(b) In sub-regulation (3) after the words “shall always carry with him” the words “in physical or electronic form” shall be inserted;

(c) After sub-regulation (4), the following shall be inserted namely: -

“(5) After inspection of the documents in electronic form, referred to above, by any police officer in uniform or any other officer authorised by the State Government in this behalf, if the documents are found to be valid and in force, then physical forms of such documents shall not be demanded for inspection, including in cases where there is an offence made out necessitating seizure of any such documents.”

[F. No. RT-11036/65/2019-MVL (Part 1)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.